न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 56/2021 GCMS NO 2021/264
दायरा तिथि : 01.10.2021
आदेश तिथि : 25-5-2022

प्रार्थी :–
पुखराज पुत्र जगाराम जाति जणवा चौधरी
निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थी :–
थानाराम पुत्र भीकाजी जाति मीणा
निवासी लालराई तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 25-5-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि मौजा लालराई तहसील बाली के खसरा नंबर 432 रकबा 8.65 हैक्टर किस्म जाव दोयम में आवागमन के लिए रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी थानाराम पुत्र भीखाजी जाति मीणा निवासी लालराई की खातेदारी भूमि ग्राम लालराई के खसरा नंबर 432/1388 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2021/ दिनांक 29.11.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी व उसके अधिवक्ता ने दिनांक 23.02.2022 को उपस्थित होकर जाहिर किया गया कि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित ट्रेक से रास्ता दिये जाने पर अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 423/1388 के दो टूकडे हो रहे है, जिससे अप्रार्थी सहमत नहीं है। अतः किनारे से रास्ता दिया जाय तो इस हेतू प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो सहमत है, इस बाबत् तहसीलदार, बाली से पुनः रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया। जिस पर तहसीलदार, बाली से पुनः जांच रिपोर्ट चाही गई। न्यायालय आदेश की अनुपालना में तहसीलदार,बाली ने जांच करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/ 2022/ 1275 दिनांक 09.05.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट पेश की :–

1.ग्राम लालराई तहसील बाली के खसरा नंबर 432 रकबा 8.65 हैक्टर किस्म जाव दोयम की खातेदारी भूमि पुखराज पुत्र जगा हि. 1/18 एवं शेष अन्य सह खातेदारान् के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज है। आवेदक एवं उनके शामलाती खातेदारान् के द्वारा वर्तमान में खसरा नंबर 423/1388 रकबा 0.80 हैक्टर मेंसे ही आना जाना करते हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	423/1388	0.80 हैक्टर	बा.सो.	110X4.57 = 503 वर्गमीटर	थानाराम पुत्र भीखाजी जाति मीणा निवासी लालराई

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम लालराई की डी.एल.सी.दर 19700/– रूपये प्रति बीघा है।
4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं हैं

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने से वकुलाय की बहस सुनी गई।

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : : 56/2021 GCMS NO 2021/264

अनवान पुखराज बनाम थानाराम

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में मौके पर आवेदित रास्ता के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं हैं। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। जिससे तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बाली द्वारा पत्रांकः राजस्व/ 2022/ 1275 दिनांक 09.05.2022 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि मौजा **लालराई** तहसील बाली नंबर 432 रकबा 8.65 हैक्टर किस्म जा दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम **लालराई** के खसरा नंबर **432/1388 मेंसे कुल 503 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति. व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 19700/- प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
423/1388	0.80 हैक्टर	110X4.57=503 वर्गमीटर	12.32	**6197X2= 12394**	थानाराम पुत्र भीखाजी जाति मीणा निवासी लालराई

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **12394/- (अक्षरे बारह हजार तीन सौ चौरानवे)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 25-5-2022

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/ 1572-76

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बाली
3. पटवारी हल्का, सेसली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय बाली
5. आवेदक प्रार्थी पुखराज पुत्र जगाराम जाति जणवा चौधरी निवासी लालराई को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner